भारत सरकार

कार्यालय आयुक्त,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर :::रॉंची ।

केन्द्रीय राजस्व भवन, 5 - मेन रोड, रॉंची - 834 001

व्यापार सूचना सं0 - 01/आरएएन/2012

दिनांक : 12.01.2012

विषय :- **भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम्स (आईसीईएस)के जरिए निर्यातकों को सेवा कर प्रतिदाय (refund) देने के संबंध में :-**

अधिसूचना संख्या 17/2009-एसटी दिनांक 07.07.2009 (यथासंशोधित) के अंतर्गत आनेवाले सामानों के निर्यात के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर निर्यातकों (एसईजेड यूनिटों / डेवेलपर्स के अलावें) को कतिपय शर्तों के साथ अबतक सेवा कर प्रतिइाय (एसटीआर) उपलब्ध करायी गयी थी। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो कुछ कहा था, वह इस प्रकार है:-

``सामानों के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर अदा किए गए कर से संबंधित प्रतिदायों को स्वीकृत करने में पर्याप्त समस्याएँ हैं। मैं शीघ्र ही अधिकाधिक सरलीकृत एवं तात्कालिक रूप में शुल्कों के ड्राबैक प्राप्त करने की दिशा में इन करों के प्रतिदाय के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।``

2. तदनुसार, सरकार द्वारा निर्यातकों को सेवा कर के इलेक्टॉनिक रूप से प्रतिइाय करने हेतु ड्राबैक प्राप्त करने की दिशा में एक सरलीकृत योजना शुरू करने की योजना प्रस्तावित है। इस नयी योजना को शुरू करने के साथ ही निर्यातकों के पास अब एक विकल्प मौजूद है कि वे आईसीईएस प्रणाली के जरिए इलेक्टॉनिक रूप से प्रतिइाय प्राप्त करने का विकल्प भी ले सकते हैं, जो `**दरों की अनुसूची** `पर आधारित है अथवा वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर संरचनाओं के पास पहुँचकर दस्तावेजों के आधार पर प्रतिदाय प्राप्त करने का विकल्प भी ले सकते हैं।`

3. **दरों की अनुसूची** `पर आधारित नयी इलेक्टॉनिक एसटीआर योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्यातक (i) बैंक एकाउन्ट रखेंगे तथा साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण अथवा सेवा कर कोड नंबर भी रखेंगे तथा `अनुसूची ए` फार्म का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क आईसीईएस 1.5 के साथ पंजीकृत कराएंगे`; (ii) इलेक्टॉनिक शीपिंग बिल पर एसटीआर प्राप्त करने के लिए वे सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष इसे प्रस्तुत करते समय अपने विकल्प की घोषणा भी करेंगें।

4. किसी वर्ग विशेष अथवा विवरण विशेष के सामानों की विनिर्दिष्ट की गई दरों ,जिसे शीघ्र ही दरों की अनुसूची `में अधिसूचित किया जाना है, कोई निर्यातक अपने शीपिंग बिल ,चेप्टर/दरों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पहले दो अथवा चार अंकों के सबहेडिंग नंबर का जिक्र करते हुए अपना विकल्प दे सकते हैं,जैसा कि शीपिंग बिल में घोषित निर्यात हेतु सामानों पर यह लागू है तथा जो इलेक्टॉनिक एस टीआर प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यह चेप्टर / सब हेडिंग नंबर निर्यात किए गए सामानों के लिए शीपिंग बिल में वर्णित आरआईटीसी कोड से मेल खा जाना चाहिए। शीपिंग बिल में घोषित सामानें के निर्यात हेतु प्रयुक्त की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर की पात्रता रखनेवाले प्रतिदाय की राशि की आईसीईएस प्रणाली के द्वारा एफओबी वैल्यू की प्रतिशतता के अनुसार उपर्युक्त सामानों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर को लागू करते हुए इलेक्टॉनिक रूप से गणना की जाएगी।

5. ऐसे निर्यातकगण जो `दरों की अनुसूची `के आधार पर इलेक्टॉनिक एसटीआर प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सेवा कर फील्ड संरचनाओं के जरिए , प्रस्तुत किए गए कागजातों के आधार पर एसटीआर का दावा करने का विकल्प लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इलेक्टॉनिक शीपिंग बिल में 9801 के अनुरूप चेप्टर / सब हेडिंग नंबर की घोषणा करनी चाहिए । इलेक्टॉनिक शीपिंग बिल के लिए न्यूनतम एसटीआर पचास रूपये होगा। कोई निर्यातक जो किसी भी कारण से चेप्टर / सब हेडिंग नंबर संशोधित कराना चाहते हैं,वे संशोधन हेतु अनुरोध - पत्र दायर करते हुए आईसीईएस सेवा केन्द्र के जरिए ऐसा कर सकते हैं ; संशोधन हेतु अनुरोध -पत्र रिमोट ईडीआई सिस्टम्स (आरईएस) का प्रयोग करते हुए आईसीईजीएटीई के जरिए भी दायर कर सकते हैं। निर्यातकगण अने प्रतिदाय दावों की वर्त्तमान स्थिति एवं प्रतिदाय राशि का विवरण **आईसीईजीएटीई डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग एण्ड टच स्क्रीन इन्क्वॉयरी** के जरिए ट्रैक कर सकते हैं।

आईसीईएस के तहत निकाली गई एसटीआर राशि को प्रत्येक सीमा शुल्क संरचना पर अधिकृत बैंक की शाखा के जरिए वितरित कराया जाएगा। अलग-अलग निर्यातक से संबंधित एसटीआर राशि सीधे निर्यातक के बैंक एकाउन्ट, किसी सीमा शुल्क संरचना पर अधिकृत बैंक की शाखा में अथवा निर्यातक के कोर बैंकिगयुक्त एकाउन्ट में, देश में किसी भी बैंक/शाखा में (एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा) जमा करा दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, निर्यातकगण से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा शुल्क, उस बैंक की शाखा के भारतीय वित्तीय सेवा कोड (आईएफएससी) सहित जिसमें वह एसटीआर राशि प्राप्त करने की ईच्छा रखते /रखतीं हैं, `अनुसूची -ए `का प्रयोग करते हुए कोर बैंकिगयुक्त एकाउन्ट नंबर, बैंका का नाम एवं पता सहित पंजीकृत कराएँ। किसी बैंक एकाउन्ट को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया वही है, जो ड्रॉबैक की राशि प्राप्त करने के लिए बैंक एकाउन्ट के पंजीकरण हेतु वर्त्तमान प्रक्रिया निर्धारित है। बैंक एकाउन्ट के पंजीकरण हेतु फार्म अर्थात , `अनुसूची -ए `निर्यातकों की सुविधा के लिए इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

7. इस परिपत्र के साथ संलग्न `अनुसूची -ए `फार्म विधिवत रूप से भरकर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण अथवा सेवा कर कोड नंबर की स्व-सत्यापित छाया प्रति सहित) इलेक्टॉनिक रिफण्ड योजना.का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी सीमा शुल्क सदन/ सीमा शुल्क संरचना के पदनामित अधीक्षक को यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। (ऐसे मरचेंट निर्यातक,जो सेवा कर कोड लेने के इच्छुक हों, वे अधिसूचना संख्या -17/2009-एसटी में उपलब्ध कराये गये फार्म ए -2 का प्रयोग का सकते हैं तथा उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं।) ऐसे निर्यातकगण ,जिनका बैंक एकाउन्ट ड्रॉबैक की राशि प्राप्त करने के लिए पहले से ही पंजीकृत है, उन्हें सेवा कर रिफण्ड लेने के लिए किसी नये/अलग एकाउन्ट की आवश्यकता नहीं होगी; लेकिन यदि वे इलेक्टॉनिक एसटीआर का विकल्प लेने के इच्छुक हैं, तो उन्हें अनुसूची -ए `फार्म का प्रयोग करते हुए अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण अथवा सेवा कर कोड ऩबर को सीमा शुल्क आईसीईएस के पास पंजीकृत कराना चाहिए। ड्रॉबैक योजना का उपभोग करनेवाले कोई भी निर्यातक ड्रॉबैक तथा सेवा कर रिफण्ड के लिए अलग बैंक एकाउन्ट नहीं रख सकते हैं।

8. समेकित इलेक्ट्रॉनिक रिफण्डों के बुकिंग के लिए मेजर हेड ``0044 - सेवा कर``के तहत 00441082 नाम से एक नया लेखा शीर्ष खोला गया है।

9. अनुरोध है कि निर्यातकों के बीच नये इलेक्टॉनिक एसटीआर योजना का व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाए। नये इलेक्टॉनिक एसटीआर योजना की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित सूचना को उद्योग एवं व्यापार ईकाइयों,/ चेम्बरों / निर्यातकों / सीएचए संघों के बीच प्रचारित किया जाए। बड़े सीमा शुल्क सदनों में निर्यातकों से विधिवत भरे हुए `अनुसूची -ए `फार्मों को प्राप्त करने हेतु विशेष प्रबंध किए जाएं। सिस्टम्स प्रबंधकगण ए `अनुसूची -ए `फार्मों को सत्यापित करने तथा उन्हें आईसीईएस में इन विवरणों को अपलोड करने हेतु आवश्यक प्रबंध कराएं। इस परिपत्र को सभी पणधारियों (Stakeholders) की सूचना के लिए सीबीईसी की वेबसाईट , www.cbec.gov.in एवं www.icegate.gov.in पर भी पोस्ट किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय,राँची के क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले सभी व्यापार संघों/ वाणिज्यमंडलों से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना की बातों को अपने संघटक सदस्यों एवं सभी संबंधितों के ध्यान में लाने का कष्ट करें।

अनुलग्नक: अनुसूची - ए फार्म

20/1/12

(दीप्ति जयराज)
उपायुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर,
राँची ।

फा.सं. V(1)34-तक/ट्रेड नोटिस/आरएएन(एच)/08/पार्ट-III/ दिनांक:

प्रति, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

डाक प्रति I,II एवं III के अनुसार।

20/01/2012

अधीक्षक (तकनीकी)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर(मुख्यालय)
राँची ।

अनुसूची -ए

पार्ट - ए

ई - एसटीआर के लिए बैंक एकाउन्ट पंजीकरण

आई.ई.सी. न्नबर : ....

आईएफएस कोड : --

बैंक एकाउन्ट नंबर : --

बैंक का नाम एवं पता : --

बैंक के द्वारा दिया गया प्रमाण - पत्र

सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही हैं।

हस्ताक्षर
(बैंक शाखा प्रबंधक कार्यालयीन सील सहित)

पार्ट - बी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण / सेवा कर कोड नंबर

यदि `दरों की` अनुसूची के आधार पर आईसीईएस 1.5 के द्वारा इलेक्टॉनिक रूप से सेवा कर प्रतिदाय (एसटीआर) प्राप्त करना हो, तो निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण नंबर : --

अथवा

सेवा कर कोड नंबर : --

घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि पार्ट - ए एवं पार्ट - बी में उल्लिखित उपर्युक्त विवरण सही हैं।

हस्ताक्षर
निर्यातक / अधिकृत प्रतिनिधि